

#Stopcovid-19: सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन एवं नियमित रूप से मास्क का करें प्रयोग,
सतर्क रहें - सुरक्षित रहें
=====

सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
प्रेस विज्ञप्ति संख्या:-१०१०
बुधवार, 23 सितंबर 2020
=====

◆ पश्चिमी सिंहभूम जिले के पर्यटन महत्व के स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में किया जाना है अधिसूचित
◆ अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति -सह- जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार अधिसूचित पर्यटन स्थलों के अतिरिक्त
अन्य पर्यटन महत्व के स्थलों को किया जाएगा शामिल
=====

पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त -सह- अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति श्री अरवा राजकमल के द्वारा जानकारी दी गई कि पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला अंतर्गत पर्यटन महत्व के वैसे स्थल जो पूर्व से राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है के अतिरिक्त अन्य पर्यटक महत्व वाले स्थल जो जिला में उपलब्ध है परंतु विभाग के द्वारा अधिसूचित नहीं है वैसे पर्यटक स्थलों की सूची विहित प्रपत्र में उपलब्ध करवाने से संबंधित सूचना उप विकास आयुक्त श्री संदीप बक्शी के द्वारा जिले के अनुमंडल पदाधिकारी यथा सदर चाईबासा, चक्रधरपुर-पोड़ाहाट एवं जगन्नाथपुर सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को दिया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रिय पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में समेकित प्रतिवेदन जिला पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा किए गए अनुशांसा की प्रति के साथ विभाग को ससमय उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे जिले में पर्यटन क्षेत्रों के विकास को काफी बल मिलेगा।
ज्ञात रहे कि विगत वर्ष में अधीहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक में जिला अंतर्गत बंदगांव प्रखंड के तीन स्थल, मंझारी प्रखंड के दो स्थल और सोनुवा, हाटगम्हरिया, खुंटपानी, मझगांव तथा तांतनगर प्रखंड के एक-एक स्थल के सौंदर्यीकरण हेतु अनुशांसित किया गया है।

=====

Team PRD Chaibasa

=====

कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:

डिस्ट्रिक्ट कॉल सेंटर- 1950 / 100

राज्य कॉल सेंटर- 181 / (0651)2261368

=====